राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

कमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/73607 दिनांकः 12/11/21

संशोधित परिपत्र

विभागीय परिपत्र प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/68191 दिनांक 27.09.2021 एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 60–सी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 54–ई, अजमेर विकास प्राधिकरण, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 50–बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 50–बी एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम अधिनियम संख्या 18) की धारा 69–ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalites (Surrender f Non-Agricultural land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 27.09.2021 में दिनांक 01.01.1992 से पूर्व की विद्यमान सम्पतियों के संबंध में निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पति पर अधिकार/रहवास है, तो परिपत्र के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित मूल दस्तावेज नही होने पर रहवास का साक्ष्य उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 2 के (झ) में उल्लेखित (i) से (vii) में से कोई दो दस्तावेज देने पर फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जावें।

मौके पर पूर्व में यदि संपत्तिधारियों द्वारा आपसी सहमति से उपविभाजन कर रखा है तो उसे मान्यता प्रदान करते हुए मौके की स्थिति अनुसार पट्टा जारी किया जावें। उक्त प्रकार के प्रकरणों में उप–विभाजन/पुर्नगठन नियम व देय शुल्क लागू नही होगें।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के अन्तर्गत बनाये गये Rajasthan Municipalities (surrender of Non- Agricultural land and Grant of Freehold leses) rules, 2015 जिसे नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 04.10.21 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासो के लिए भी लागू किया गया है, के नियम–3 (vii) के अनुसार भूमि नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण/न्यास में निहित (vests) हो चुकी है, उसमें स्वामित्व के दस्तावेज होने पर पट्टा दिया जा सकता है।

साथ ही विभागीय परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के कतिपय बिन्दुओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है–

बिन्दु संख्या 2 के (च) –

(च) विद्यमान सम्पति जिसका निष्पादित बेचाननामा/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत जिसके आधार पर आवेदक को अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में उसका संबंधित सम्पति पर अधिकार/कब्जा है

बिन्दु संख्या 2 के (ज) –

(ज) नगर निकाय द्वारा पूर्व जारी की गई निर्माण स्वीकृतियां

बिन्दु संख्या 2 के (झ) –

(viii) दिनांक 01.01.1992 से 31.12.2018 तक की निर्मित सम्पतियों के संबंध में स्वामित्व का मूल दस्तावेज आवश्यक होगा।

बिन्दु संख्या 3 (क) (ii)

आम रास्ते/सुविधा क्षेत्र पर किये गये अतिकमण का पट्टा नही दिया जायेगा। स्वामित्व संबंधी कोई विवाद नही होने पर प्रत्येक प्रकरण में सिटी सर्वे रिकॉर्ड से रिपोर्ट की आवश्यकता नही होगी

Scanned with CamScanner

तथापि रास्ते अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का संशय अथवा आपत्ति प्राप्त होने पर सिटी सर्वे रिकॉर्ड संबंधित रिपोर्ट/दस्तावेज प्राप्त किये जावेगें।

बिन्दु संख्या 3 (क) (ix) नया बिन्दु जोड़ा गया

आवेदक के मूल दस्तावेजों में जो भू-उपयोग दर्ज है। उसी के अनुरूप पट्टा जारी किया जावेगा। यदि आवेदक द्वारा भिन्न उपयोग का पट्टा चाहा गया हो जो मास्टर/जोनल प्लान के अनुरूप है, तो उससे भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर मापदण्ड अनुसार नया फ्री-होल्ड पट्टा दिया जा सकेगा।

बिन्दु संख्या 3 (ग) (i) (चारदीवारी/परकोटा क्षैत्र के बाहर आबादी/अकृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के संबंध में) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

ऐसे क्षैत्र, जिनके यदि पूर्व में स्वीकृत ले-आउट प्लान उपलब्ध है, तो उसके आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। ले-आउट प्लान उपलब्ध नही होने पर विद्यमान मौके की स्थिति के अनुसार क्षैत्र/योजना का प्लॉट लेवल सर्वे कर प्लान तैयार किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा इसी प्लान के अनुरूप सड़कों एवं विद्यमान सुविधा क्षेत्र की भूमि को यथावत रखते हुये अन्य भूखण्डों के पट्टे दिये जायेगें।

नोट-*यदि मूल दस्तावेजों की कड़ी में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है तो भी इस संबंध में शपथ पत्र लेकर पट्टा दिया जावेगा।*

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 68191 दिनांक 27.09.2021 में जहां कही भी दिनांक 01.01.1992 का उल्लेख हुआ है, उसे दिनांक 31.12.2018 पढा जावें।

यह आदेश प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगा।

उपरोक्त संशोधन राज्य सरकार से अनुमोदित है।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुन्जी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान-2021नियम/डीएलबी/21/73008-73496 दिनांकः 12/11/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान-राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with CamScanner